राजस्व आवेदन संख्या 36/2024
अनवान पुनमाराम वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 36/2024
अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1. पुनमाराम पुत्र भूराराम जाति जाट, निवासी ओगाला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

उपस्थित :प्रार्थी वकील–श्री करनाराम कड़वासरा

–: निर्णय :– दिनांक 1/1/2025

प्रार्थी पूनमाराम पुत्र भूरारामा जाति जाट निवासी औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम ओगाला के खसरा संख्या 587 रकबा 2.2258 आया हुआ है, जिस में से रकबा 0.04856 हैक्टर भूमि प्रार्थी ने राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण की थी। समर्पण होने पर तरमीम खसरा संख्या 1081/587 की तरमीम की गई। प्रार्थी ने खसरा संख्या 587 में से 0.04856 हैक्टर यानि (छः बिस्वा) भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 12.09.2022 को समर्पण की थी, तथा पटवारी रिपोर्ट व समर्पण फोर्म में छः बिस्वा यानि 0.04856 हैक्टेयर लिख गया था, उक्त समर्पण फार्म में छः बिस्वा यानि 0.04856 हैक्टेयर लिख गया था, उक्त समर्पण फार्म की प्रति संलग्न है। जिस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा आदेश किया गया था, उक्त आदेश में लिपीकीय भूल से टंकन के वक्त 0.04856 हैक्टर की जगह 0.4856 हैक्टेयर लिख दिया गया, शब्दो में छः बिस्वा भूमि का आदेश में लिखा गया था, लेकिन हल्का पटवारी ने जांच किये बिना तहसीलदार आदेश की लिपीकीय त्रुटि के आधार पर 0.4856 हैक्टर यान तीन बीघा भूमि का नामान्तरण दर्ज कर दिया। उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करने का प्रार्थी हकदार होने से रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी ने समर्पण भूमि के तहसीलदार आदेश की लिपिकीय त्रुटि की जानकारी में आने पर एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सेड़वा को लिया गया कि समर्पण भूमि के आदेश में लिपिकीय त्रुटि से टंकन के वक्त लिख दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:42:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

गया है, जिसे उक्त त्रुटि को सुधारते हुए संशोधित आदेश फरमावें, लेकिन तहसीलदार द्वारा ऐसा संशोधित आदेश करने से मना कर दिया गया कि उक्त त्रुटि को 90 दिन से ज्यादा हो गया है व नामान्तरण हो गया है अब हम नहीं सुधार सकते, आप कोर्ट में जाओ। जिससे उक्त तहसीलदार सेड़वा के आदेश की लिपिकीय भूल को सुधारते हुए रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में तहसीलदार सेड़वा के आदेश दिनांक 12.09.2022 की लिपिकीय भूल से रकबा 0.04856 की जगह 0.4856 हैक्टेयर लिख देने से उक्त लिपिकीय त्रुटि को समर्पण अनुसार लिपिकीय भूल को रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किए। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2024/1983 दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया,जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2024/3402 दिनांक 26.11.2024 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन "उक्त खसरा संख्या 587 रकबा 2.2258 हैक्टैयर जो ग्राम औगाला के वर्तमान राजस्व रेकर्ड (चौसाला जमाबन्दी) 2074–77 जमाबंदी 2078 में खसरा संख्या 1082/587 रकबा 1.7402 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1081/587 रकबा 0.4856 हैक्टेयर जो खसरा संख्या 1082/587 खातेदारी पूनमाराम पुत्र भूराराम एवं खसरा संख्या 1081/587 राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण भूमि है। उक्त खसरा संख्या 587 में से तहसीलदार सेड़वा के आदेश कमांक/451 दिनांक 12.09.2022 के तहत् राज. सरकार के पक्ष में 0.0485 हैक्टेयर (छः बिस्वा) समर्पण की थी। परन्तु समर्पण आवेदन में 0.04856 हैक्टेयर एवं आदेश प्रति में 0.4856 हैक्टेयर, जो भिन्न है, जो सलग्न नक्शे में दर्शाया। उक्त खसरा संख्या 587 में समर्पण भूमि जो रास्ते हेतु समर्पण करवायी वो मौके पर 0.04856 हैक्टेयर है। उक्त आदेश में लिपिकीय भूल से टंकन के वक्त 0.04856 हैक्टेयर के स्थान पर 0.4856 हैक्टेयर लिख दिया जिसे राजस्व रेकर्ड में शुद्व करना उचित एवं न्यायचित है। उक्त फर्द तैयार कर मौके पर सुनाई गई। सभी को पढकर सुनाई गई अंगुठे निशान/हस्ताक्षर किये।"

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित उक्त जांच प्रतिवेदन का न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया। मौका जांच तथ्यात्मक प्रतिवेदन में संबंधित पक्षकारान् के हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्ति युक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:40:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्रार्थना पत्र 36/2024 अनवान पुनमाराम बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनिययम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रार्थी पुनमाराम पुत्र भूराराम जातियान जाट निवासी औगाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनिययम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी खेत मौजा औगाला पटवार हल्का औगाला के खसरा संख्या 587 रकबा 2.2258 हैक्टर किस्म बा0सोयम, भूमि के राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार सेड़वा के आदेश कमांक राजस्व/2022/451, दिनांक 12.09.2022 की लिपिकीय भूल से रकबा 0.4856 की जगह 0.04856 हैक्टेयर करने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2024/3402 दिनांक 26.11.2024 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 10.09.2024 व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/1/2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:42:22 IST
Reason: SelfAttested